मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक/एफ–10–07/2018/17/मेडि–2 भोपाल, दिनांक 10.04.2018

प्रति,

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
मध्य प्रदेश.

विषयः– आयुष्यमान भारत योजना का क्रियान्वयन।

==0==

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन बनाये जाने का निर्णय लिया गया है जिसके तहत आयुष्मान भारत योजना 15 अगस्त 2018 से लागू की जाऐगी। आयुष्मान भारत योजना के तहत सामाजिक, आर्थिक एवं जातीय आधार की जनगणना में चिन्हित, $D_1$ से $D_7$ श्रेणी ($D_6$ श्रेणी छोडकर) के परिवारों तथा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के परिवारों को रूपये 5.00 लाख प्रति परिवार प्रति वर्ष स्वास्थ्य सुरक्षा कवच प्रदान किया जाऐगा। सामाजिक, आर्थिक एवं जातीय जनगणना वर्ष 2011 पर आधारित है, तब से आज तक इसके तहत आने वाले परिवारों की आन्तरिक संरचना में काफी परिवर्तन हुए होंगे जैसे–परिवार में विवाह के फलस्वरूप पुत्र वधु का आगमन अथवा परिवार में बच्चे का जन्म हुआ होगा ऐसी स्थिति में नये सदस्यों के नाम परिवार की सूची में सम्मिलित किये जाने होंगे। इसी प्रकार परिवार में किसी लड़की के विवाह होने अथवा परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु होने के कारण परिवार के सदस्यों की संख्या में कमी आयी होगी ऐसी स्थिति में इन सदस्यों के नाम की पहचान कर उन्हें परिवार के सदस्यों की सूची से विलोपित किया जाना होगा। यह परिवर्तन/संशोधन उक्त उदाहरण में वर्णित श्रेणी तक ही सीमित रहेगा। इसके अतिरिक्त असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की जानकारी ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों द्वारा हाल ही में अद्यतन की गई है।

2/ आयुष्मान भारत योजना के तहत लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के द्वारा निम्न दायित्वों का निर्वहन किया जाएगाः–

1. आयुष्मान भारत योजना में पात्रता सामाजिक, आर्थिक एवं जाति जनगणना 2011 के अंतर्गत $D_1$ से $D_7$ श्रेणी ($D_6$ श्रेणी छोडकर) के परिवार तथा असंगठित क्षेत्र के श्रमिक परिवार के सदस्यों को होगी।

2. इस योजना के क्रियान्वयन से पूर्व योजना के तहत लाभान्वित होने वाले पात्र परिवारों की सूची को अद्यतन किया जाना आवश्यक है। यह कार्य संयुक्त रूप से लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के मैदानी अमले के द्वारा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सहयोग से किया जाऐगा।

3. आयुष्मान भारत योजना का जिले में प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए जिले में एक नोडल अधिकारी नियुक्त करें तथा उसके सहयोग के लिए आवश्यक अमला भी नियत करें। नोडल अधिकारी उसे ही नियुक्त किया जाऐ जिसे शासन स्तर पर 07 अप्रेल अथवा 11 अप्रेल 2018 को प्रशिक्षित किया गया हो।

4. जिला स्तर पर कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी के साथ संपर्क स्थापित कर लोक स्वाथ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के जिला एवं विकास खण्ड स्तरीय अधिकारियों की संयुक्त बैठक आयोजित कर आयुष्मान भारत योजना में सर्वे की रूपरेखा को अंतिम रुप दिया जाये। इस योजना का जिले में प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए जिले में एक अधिकारी को नोडल अधिकारी एवं एक अन्य अधिकारी को सहयोगी/लिंक अधिकारी नियुक्त करें।

5. पात्र परिवारों की अतिरिक्त जानकारी एकत्र करने एवं उसके सत्यापन हेतु विकासखंड चिकित्सा अधिकारियों एवं अन्य स्टॉफ का प्रशिक्षण जिला स्तर पर आयोजित किया जाये एवं सर्वे दलों का गठन किया जाये। यह कार्य 15 अप्रैल 2018 तक पूर्ण कर लिया जाये।

6. पात्र परिवारों की जानकारी के एक पृष्ठ में 8 परिवारों की जानकारी सम्मिलित होगी जिसमें परिवार के मुखिया का नाम एवं परिवार के सदस्यों के नाम पूर्व से उपलब्ध होंगे तथा इस जानकारी में परिवार के मुखिया का मोबाईल नम्बर, राशन कार्ड का नम्बर, परिवार में शामिल नये/कम हुए सदस्यों की जानकारी एकत्र की जानी है। राशन कार्ड के नम्बर की जानकारी के स्थान पर परिवार की समग्र आई.डी. की जानकारी एकत्र की जाऐगी ।

7. पात्र परिवारों की अतिरिक्त जानकारी एकत्र करने एवं परिवारों के सत्यापन के संबंध में आशा, ए.एन.एम., एम.पी.डब्लू., सुपरवाईजर्स तथा पंचायत विभाग के पंचायत सचिव एवं रोजगार सहायकों के लिए एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर प्रशिक्षण दिनांक 18–22 अप्रैल के मध्य आयोजित किया जाये। इस प्रशिक्षण के दौरान ही सर्वे कार्य करने वाली आशाओं को पात्र परिवारों की सूची भी उपलब्ध कराई जाए।

8. पात्र परिवारों की सूची प्राप्त हाने के उपरांत स्वास्थ्य विभाग का पर्यवेक्षीय अमला यथा ए.एन.एम., एम.पी.डब्ल्यू. या पर्यवेक्षक (महिला या पुरूष) टोल फ्री नम्बर 1800–212–4684 पर कॉल करेगा तथा पात्र परिवारों की सूची में दर्शाए गए एक्टीवेशन कोड को दर्ज (फीड) करेगा।

9. जिला एन.आई.सी. के सहयोग से सामाजिक, आर्थिक एवं जाति जनगणना 2011 के तहत पात्र वंचित परिवारों की जानकारी निर्धारित प्रपत्र में पी.डी.एफ. फार्मेट में डाउनलोड कर विभिन्न विभागों के

सहयोग से जिला तथा विकासखंड स्तर पर ग्राम वार जानकारी का प्रिंट आउट निकाला जाये। औसतन प्रत्येक ग्राम में 200–250 पात्र वंचित परिवारों की संख्या अनुमानित है, औसतन प्रति ग्राम 25–35 पृष्ठ की जानकारी का प्रिन्ट आउट लिया जाना होगा। प्रिंट आउट एक प्रति में ही निकाला जाये तथा यह कार्य 18 अप्रैल 2018 तक पूर्ण कर लिया जाये।

10. दिनांक 30/04/2018 को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर विशेष ग्रामसभा का आयोजन किया जाऐगा जिसे "आयुष्मान भारत दिवस" नाम दिया गया है। विशेष ग्रामसभा में ग्राम पंचायत से संबंधित ग्रामों के भारत आयुष्मान योजना में पात्र परिवारों की जानकारी का प्रकाशन एवं वाचन संबंधित पंचायत सचिव के द्वारा नोडल अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा एवं "आयुष्मान भारत योजना" के तहत मिलने वाले लाभों की जानकारी भी उपस्थित जनसमुदाय को दी जाएगी।

11. पंचायत सचिव द्वारा ग्राम सभा में जानकारी के प्रकाशन एवं वाचन के पश्चात ग्रामवार सूची की प्रति संबंधित आशा कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर अतिरिक्त जानकारी एकत्र करने के लिये उपलब्ध करायेंगे। आशा कार्यकर्ता द्वारा दिनांक 1–7 मई 2018 के दौरान यह कार्य पूर्ण कर लिया जाये।

12. आशा कार्यकर्ता द्वारा किये गये सर्वे कार्य का शतप्रतिशत सत्यापन ए. एन.एम./बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरूष), पर्यवेक्षकों (महिला/पुरूष) तथा पंचायत सचिव के द्वारा किया जाना है, यह कार्य सर्वे के साथ साथ ही प्रारंभ किया जाये। इस कार्य को दिनांक 10 मई 2018 तक पूर्ण किया जाये। सत्यापन उपरांत सर्वेकर्ता एवं सत्यापनकर्ताओं द्वारा संयुक्त रूप से सर्वे सूची के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर किए जाऐंगे।

13. पात्र परिवारों की जानकारी के सत्यापन पश्चात सत्यापित जानकारी पंचायत सचिव को वापस उपलब्ध कराई जाये। पंचायत सचिव के सुपरविजन में एकत्र अतिरिक्त जानकारी एवं परिवार के सदस्यों के परिवर्तन की जानकारी की प्रविष्ठि कम्प्युटर में रोजगार सहायक के द्वारा की जाऐगी। यह कार्य भी साथ साथ किया जाना चाहिये। यह कार्य 12 मई 2018 तक पूर्ण किया जाऐगा।

14. ग्राम पंचायत के सचिव जानकारी की प्रविष्ठि कम्प्युटर में पूर्ण करने के उपरांत ग्राम पंचायतवार अभिलेख मुख्य खण्ड चिकित्सा अधिकारी को 15 मई 2018 तक सुरक्षित रखने के लिए वापस लौटाऐंगे। मुख्य खण्ड चिकित्सा अधिकारी के द्वारा इन अभिलेखों को आगामी निर्देश तक सुरक्षित रखा जाऐगा।

15. पात्र परिवारों की जानकारी को अद्यतन करने के लिए आशा कार्यकर्ता को प्रति परिवार रूपये 4/–, पंचायत सचिव को जानकारी सत्यापन करने के लिए प्रति परिवार रूपये 3/– एवं ग्राम सेवक को कम्प्युटर में प्रविष्ठि हेतु प्रति परिवार रूपये 3/– की दर से प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाऐगी ।

16. पात्र परिवारों की जानकारी ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के लिये पृथक–पृथक प्राप्त की जाऐगी। शहरी क्षेत्र के लिए प्रशिक्षण, नोडल अधिकारी/पर्यवेक्षीय अमले की नियुक्ति, सर्वे आदि के सम्बंध में निर्देश पृथक से जारी किए जाऐंगे। शहरी क्षेत्र की जानकारी 15 मई 2018 के पश्चात अद्यतन की जाऐगी।

17. 30 अप्रेल 2018 को विशेष ग्राम सभा के आयोजन के दौरान स्थानीय जन प्रतिनिधियों एवं ग्रामजनों को पात्र परिवारों की सूची के वाचन एवं प्रकाशन के समय उपस्थित रहने हेतु विशेष अनुरोध पर्यवेक्षण में लगे मैदानी अमले के द्वारा किया जाऐगा। इस आयोजन एवं घर–घर जाकर सर्वे करने वाले कार्य के फोटो को सोशल मिडिया, विभागी वेबसाईट एवं प्रचार प्रसार के अन्य माध्यमों पर उपलब्ध कराया जाऐगा।

18. इस विषय पर किसी समस्या के निराकरण अथवा मार्गदर्शन के लिए हेल्पलाईन नम्बर 1097 पर सुविधा शुरू रहेगी। यह सुविधा 25 अप्रेल 2018 से प्रारंभ होगी। इसके अतिरिक्त किसी मार्गदर्शन के लिए 15 अप्रेल 2018 के बाद राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कॉल सेंटर के दूरभाष क्रमांक 0755–4020101, 0755–4020151, 0755–4092523, 0755–4092525 पर भी सम्पर्क कर सकते है।

3/ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जिला एवं विकासखण्ड स्तरीय अधिकारियों एवं मैदानी अमले का प्रशिक्षण दिनांक 20/04/2018 से पूर्व सुनिश्चित कर लिया जाऐगा । जिला एवं विकास खण्ड स्तर पर आयोजित होने वाले इस प्रशिक्षण में पंचायत एवं ग्रामीण विकास के अमले की उपस्थिति भी सुनिश्चित की जाऐगी। इस हेतु तिथि, स्थान निर्धारण एवं प्रशिक्षण की रूपरेखा जिला स्तर पर स्वास्थ्य विभाग का अमला, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अमले के परामर्श से तैयार करेगा।

4/ पात्र परिवारों की जानकारी निर्धारित प्रपत्र में पी.डी.एफ. फार्मेट में जिला/विकासखण्ड स्तरीय नोडल अधिकारियों को ऑनलाईन उपलब्ध कराई जाऐगी। यह जानकारी पी.डी.एफ.फार्मेट में दिनांक 15/04/2018 के पश्चात डाउनलोड की जा सकेगी।

5/ पात्र परिवारों की जानकारी ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र पृथक–पृथक प्राप्त की जाऐगी। ग्रामीण क्षेत्र के पात्र परिवारों की जानकारी दिनांक 1–7 मई 2018 के दौरान घर–घर जाकर अद्यतन की जाना है। प्रत्येक ग्राम में घर–घर सर्वे उपरांत सर्वे की अद्यतन जानकारी का सत्यापन करते हुए सभी जानकारी ग्राम पंचायत स्तर पर संकलित करने का दायित्व स्वास्थ्य विभाग के पर्यवेक्षीय अमले (ए.एन.एम., एम.पी. डब्ल्यू. पर्यवेक्षकों) एवं ग्राम पंचायत के सचिव का संयुक्त रूप से होगा।

6/ प्रदेश में इस योजना के तहत लाभान्वित होने वाले पात्र परिवारों की संख्या लगभग 83 लाख है जिसमें शहरी क्षेत्र के 15 लाख परिवार भी सम्मिलित है।

7/ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह इन निर्देशों की प्राप्ति के तत्काल बाद जिला कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत से सम्पर्क कर उन्हें इस योजना के प्रावधानों से अवगत करायेंगे तथा उनसे परामर्श कर इस प्रकार कार्य योजना तैयार करेंगे कि नियत समय–सीमा में वांछित लक्ष्य प्राप्त हो सके।

8/ निर्देश की यह प्रति सभी मुख्य खण्ड चिकित्सा अधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत तथा नोडल अधिकारी आयुष्मान भारत योजना को उपलब्ध कराने का दायित्व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का होगा।

9/ उपरोक्त दिशा–निर्देशों के अनुरूप समस्त अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर उपरोक्त गतिविधियॉ सफलतापूर्वक समय–सीमा में संपादित कराऐं।

10/ जिला स्तर पर जिला कलेक्टर समय–समय पर प्रगति प्राप्त की समीक्षा करेंगे तथा मैदानी अमले को मार्गदर्शन प्रदान करेंगे।

(गौरी सिंह) 10/4
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

क्रमांक/एफ–10–07/2018/17/मेडि–2 भोपाल, दिनांक 10.04.2018

प्रतिलिपिः– कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

01. अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्य प्रदेश।
02. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्य प्रदेश।
03. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्य प्रदेश।
04. समस्त कलेक्टर, मध्य प्रदेश।
05. प्रबंध संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्य प्रदेश।
06. संचालक, पंचायतराज, मध्य प्रदेश।
07. समस्त क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्य प्रदेश।

प्रमुख सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग